"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2019—आश्विन 26, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 1-02/2018/1/5.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के पत्र क्रमांक ECI/PN/84/2019 दिनांक 21 सितंबर 2019 द्वारा विभिन्न राज्यों में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2019 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-87 चित्रकोट (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 हेतु मतदान दिनांक 21.10.2019 दिन सोमवार को मतदान संपन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-87 चित्रकोट (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 दिनांक 21.10.2019 दिन सोमवार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में उक्त तिथि को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-02/2018/1/5 : राज्य शासन एतद्द्वारा, यह भी घोषित करता है कि, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-87 चित्रकोट (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 दिनांक 21.10.2019 दिन सोमवार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में उक्त तिथि को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 11-2/2019/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 65(1) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 23 एवं 24 के अनुसार अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करता है :—

क्र.	स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का पता	जिले का नाम	स्वीकृत क्षमता
1.	बिलासपुर सेवा भारती मॉतुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड कैम्प के सामने कुदुदण्ड बिलासपुर (छ.ग.).	मातृछाया डॉ. नीलिमा भट्ट क्लीनिक के सामने कोसाबाड़ी कोरबा (छ.ग.)	कोरबा	10
2.	बिलासपुर सेवा भारती मॉतुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड कैम्प के सामने कुटुदण्ड बिलासपुर (छ.ग.).	मातृछाया पाटीदार भवन के पीछे रायपुर नाका, राजनांदगांव (छ.ग.).	राजनांदगांव	10

2. यह मान्यता निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए अथवा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के तहत् पंजीकरण समाप्ति तक, जो भी पहले हो वैध होगी. निर्धारित समयावधि पश्चात् संस्था द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 24 के प्रावधानानुसार नवीनीकरण कराया जा सकेगा.

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 65(4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 25 के प्रकाश में संस्था की मान्यता निलंबित अथवा प्रतिसंहरण की जा सकेगी.

3. संस्था को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.

4. मान्यता प्रदान की जाने वाली विशिष्ट दत्तक अभिकरणों द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, नियम 2016, दत्तक ग्रहण विनियम 2017 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

5. संस्था के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को बैठक व प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने की दशा में उपस्थिति अनिवार्य होगी.

6. दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 46 के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होगा. प्रत्येक शुल्क/दान का विवरण राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा. प्राप्त शुल्क/दान का उपयोग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण पर किया जाना होगा.

7. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगी.

8. संस्था को निर्दिष्ट स्थानों में "क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेन्टर" की स्थापना करनी होगी.

9. संस्था को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा बनाए गए "केयरिन्सवेबसाईट" पंजीयन कराते हुए सभी सुसंगत विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा.

10. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिमलेख व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्त्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

11. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिये सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात :—

सारणी

स.क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	क्षेत्र/राजस्व जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अम्बिकापुर	सरगुजा	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, III सिविल जज क्लास-I/ जेएमएफसी, अम्बिकापुर.
2.	जगदलपुर	बस्तर	श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, III सिविल जज क्लास-I/ जेएमएफसी, जगदलपुर.

No. F 11-3/2013/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Judge (Principal Magistrate), mentioned in column number (4) as Chairman and including Social workers duly selected by the State Level Slection Committee as members for

the area mentioned in (3) of the table below, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue District	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambikapur	Sarguja	Smt. Sarojani Janardan Khare, III Civil Judge Class-I/JMFC, Ambikapur.
2.	Jagdalpur	Bastar	Shri Sweta Upadhyaya Gaur, III Civil Judge Class-I/JMFC Jagdalpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2019

क्रमांक एफ 1-12/2019/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987) अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं वन विभाग तथा महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल नियुक्त करता है.

2. उपरोक्त नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (अध्यक्ष की अर्हताओं और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त नियमों के नियम 5 को शिथिल किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्रमांक/एफ 7/20/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत (भापुसे-2004) पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 09.09.2019 से 20.09.2019 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 08, 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश को लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती चंपावत आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती चंपावत को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चंपावत (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती नेहा चंपावत (भापुसे-2004) पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. का चालू प्रभार श्री संजीव शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06 सितम्बर 2019

क्रमांक/4923/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (पांच) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. नियम 5 के उप-नियम (6) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(1) सचिव, कृषि विभाग-अध्यक्ष"

2. नियम 5 के उप-नियम (6) के खण्ड (चार) के उप-खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"(7) जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2019

क्रमांक एफ 6-55/2017/वा.क.(आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2017 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39,100+ग्रेड पे 5400/-) में अनन्तिम (PROVISIONAL) रुप से नियुक्त करता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी

अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में दर्शित कार्यालय में की जाती है :—

क्र.	लोक सेवा अयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री नवनीत कुमार तिवारी, आत्मज श्री उदय शंकर तिवारी, हाउस नं.-56 कृष्णा नगर कॉलोनी, किसान राइस मिल के पास, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.), पिनकोड-497001	अनारक्षित	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर
2.	2	श्री विष्णु कुमार साहू, आत्मज श्री टोपी लाल साहू, ट्रांजिट हास्टल बलौदाबाजार, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) पिनकोड-493332	अ.पि.व.	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.

2. (i) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन आकदमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी.

6. अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी की सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भारती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है. अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरष्ठिता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-04-2018 द्वारा छ.ग. राज्य हज समिति का गठन कर 12 सदस्यों को नामांकित किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छ.ग. राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 04 में निहित प्रावधानानुसार समिति के शेष एक सदस्य हेतु श्री मोहम्मद असलम खान, नया पारा रायपुर जिला रायपुर छ.ग. को नामांकित करता है.

3. श्री मोहम्मद असलम खान, का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 अगस्त 2019

प्रकरण क्रमांक 276/क/अ.वि.अ./भू.अ./01-अ/82/वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	मौलीखार प.ह.नं. 40	3.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिंगबहार जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 31 अगस्त 2019

प्रकरण क्रमांक 275/क/अ.वि.अ./भू.अ./19-अ/82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-तिहारीपाली, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320	0.10
319	0.09
315	0.23
169	0.02

(1)	(2)
314	0.08
75	0.08
78	0.10
313	0.14
74	0.05
77	0.04
126	0.15
310	0.11
258	0.20
282	0.01
306	0.06
309/2	0.03
309/1	0.12
308	0.18
290	0.26
285	0.08
80	0.02
175	0.10
289	0.01
291	0.02
173	0.02
178	0.03
256	0.23
293	0.08
174	0.04
177	0.02
288	0.30
286	0.28
251/1	0.02
251/4	0.06
251/2	0.08
251/3	0.09
252	0.06
250	0.10
246	0.05
249	0.02
245/2	0.01
242	0.03
245/1	0.02
247	0.08
243/1	0.12
239	0.03
240	0.03
241	0.02
85/1	0.01
76/1	0.06
85/2	0.02
76/2	0.03
79	0.03
179	0.17
165	0.02
149	0.26
180	0.04
167	0.26
148	0.06
140	0.11
125	0.17
123	0.03
287	0.09
166	0.27
311	0.04
331	0.02
योग 66	5.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–सिंगबहाल जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 31 अगस्त 2019

प्रकरण क्रमांक 277/क/अ.वि.अ./भू.अ./04–अ/82/वर्ष 2018–19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–महासमुंद
- (ख) तहसील–सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम–कापुकूण्डा, प.ह.नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194/4	0.05
194/10	0.01
194/13	0.01
194/5	0.06
194/9	0.01
194/12	0.01
194/1	0.01
194/7	0.01
194/6	0.05
195/2	0.12
195/1	0.05
195/3	0.04
196	0.08
197	0.03
200	0.02
201	0.01
202	0.01
212	0.01
459	0.03
462	0.04
460	0.03
450	0.19
449	0.03
451	0.04
438	0.07
437	0.03
434	0.03
योग 28	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–अर्तुण्डा बनोभांटा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.